UPMZ010061362026

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Court No-1, Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Sri Vishnu Chandra Vaish), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06126

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2414 सन् 2026

रविन्द्र पुत्र बालेश्वर,
निवासी ग्राम खरड, थाना फुगाना,
जिला मुजफ्फरनगर।

.....आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–42 सन् 2026
धारा–109(1) बी0एन0एस0
थाना–फुगाना, जिला–मुजफ्फरनगर।

दिनांकः–18.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **रविन्द्र पुत्र बालेश्वर** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त के संबंध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार बालेश्वर पुत्र मोहर सिंह द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. संक्षेप में वादी मुकदमा सचिन द्वारा दी गयी तहरीर के अनुसार कथानक इस प्रकार है कि वह ग्राम खरड थाना फुगाना जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला है तथा एक सीधे साधे आचरण का व्यक्ति है। वादी अपने गांव में खेत से मजदूरी करके वापस घर लौट रहा था तो वहां से ग्राम खरड में गली नं० 5 के पास गांव के ही रहने वाले रविन्द्र पुत्र बालेश्वर व करणपाल पुत्र बालेश्वर दोनों ने वादी को रास्ते में रोक लिया और रात करीब 8 बजे वादी को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार व लोहे के फट्टे से वादी पर हमला कर दिया, जिससे वादी बुरी तरह घायल हो गया। वादी के सिर में गंभीर चोट लग गई और वादी लहूलुहान हो गया। वादी को घायल कर उपरोक्त लोग मौके से फरार हो गए। इसके बाद वादी के भाई प्रवीण ने पुलिस बुलाई और एम्बुलेंस पर फोन किया तो एम्बुलेंस उसको लेकर अस्पताल में गई, जहां वादी की हालत गंभीर होने से उसको जिला

Digitally signed by VISHNU CHANDRA VAISH
Date: 2026.06.18 15:39:39 IST
Reason: SESSION BAIL
Location: ADJ COURT NO. 01, MZN

अस्पताल मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया। अतः वादी द्वारा उपरोक्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध नही किया है। आवेदक/अभियुक्त को गांव की पार्टीबाजी एवं रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। कथित घटना रात्रि के अन्धकार के समय की बताई गयी है तथा प्रकाश के किसी स्रोत का प्रथम सूचना रिपोर्ट मे उल्लेख नही किया गया है। अभियोजन द्वारा बताई गयी कहानी एवं चिकित्सीय साक्ष्य मे भारी विरोधाभाष है। वादी/कथित चुटैल के शरीर पर बताई गई चोटों की प्रकृति साधारण है। मैडिकल रिपोर्ट मे कोई भी चोट प्राणघातक नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना के सम्बन्ध मे कोई भी जनसाक्षी नही बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना के अगले दिन वादी द्वारा अपने घर से ही लिखाई जाना कहा गया है जिससे प्रकट होता है कि घटना के अगले दिन वादी/कथित चुटैल किसी भी अस्पताल में भर्ती नही था। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा कोई कोजेन्ट एवं रिलाईबिल साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

5. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क रखा गया कि, आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उसकी घटना कारित करने में सक्रिय भूमिका है। जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

7. प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर वादी/चुटैल को रास्ते में रोकने, जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार एवं लोहे के फट्टे से हमला करने, उसके सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर उसे लहूलुहान एवं गंभीर रूप से घायल करने तथा घटना के बाद मौके से फरार हो जाने का आरोप है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। पत्रावली पर उपलब्ध चुटैल सचिन की चिकित्सीय आख्या में उसे कुल 6 चोटें हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आना वर्णित हैं, जिनमें से चोट संख्या 1 को जेरे निगरानी रखते हुए अन्य चोटों को साधारण प्रकृति की होना दर्शाया गया है तथा उक्त चुटैल की पूरक आख्या में उसके एक्स–रे स्कल में N.A.D. होना उल्लिखित करते हुए चोट नं0 1 को भी साधारण प्रकृति का पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध स्वतंत्र गवाह वेदपाल पुत्र सुखपाल सिंह एवं जसवीर सिंह पुत्र इन्दल सिंह के कथनों से भी प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि घटना पूर्व से चले आ रहे आपसी विवाद एवं कहा–सुनी के दौरान घटित हुई, जिसमें वादी एवं अभियुक्त

रविन्द्र के मध्य कहासुनी के पश्चात हाथापाई होना वर्णित है। स्वतंत्र गवाहों के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा शराब का सेवन किया गया था तथा दोनों के मध्य परस्पर गाली–गलौच एवं मारपीट हुई थी। वर्तमान स्तर पर चोटों की प्रकृति, चिकित्सीय साक्ष्य, स्वतंत्र गवाहों के कथन, अभियुक्त की भूमिका, साक्ष्य की वर्तमान स्थिति तथा अन्य उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्त की निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा विवेचना अथवा न्यायहित के लिए अपरिहार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। थाने से प्राप्त आख्यानुसार अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 30.04.2026 से विगत लगभग डेढ़ माह से अधिक समय से जिला कारागार में निरुद्ध है।

8. केस की प्रकृति, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किए जाने का पर्याप्त व युक्तियुक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **रविन्द्र** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन **50,000–50,000/–** (पचास हजार रुपए – पचास हजार रुपए) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्य प्रति दाखिल की जायेगी।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्व धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
4. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

(विष्णु चन्द्र वैश्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 1, मुजफ्फरनगर।

दिनांक–18.06.2026